अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड ..... कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/115/2020

तारीख रजू.....

रतिराम बनाम शिवराम वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2020	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे बकील सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 269 वाके ग्राम राजपुर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 06.10..2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 06.10.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10.9.2020	पत्रावली आज वकील वादी के प्रा0पत्र पर तलब होकर पेश हुई वकील वादी/प्रार्थी ने मूल वाद की खारिज अतः प्रा0पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं अतः प्रा0 पत्र ~~चलाये~~ 21-RTA की खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल मुताबिक होकर नम्बर लेकर हो वाद तरमीम मूल वाद के माय सकत रहे। सुनाया।	